

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
:: आदेश ::

रायपुर, दिनांक 03.01.2015

क्रमांक एफ 04—01 / 31 / स्था. / 2015 :: राज्य शासन एतद्वारा श्री बृजराज दास वैष्णव, अधीक्षण अभियंता, प्रभारी मुख्य अभियंता, हसदेव कछार बिलासपुर एवं अतिरिक्त प्रभार, हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग, अंबिकापुर को ब्यूरो द्वारा 5,00,000/- रुपये (रुपये पाँच लाख मात्र) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध अपराध क्रमांक-57 / 2014 धारा - 7, 13(1)डी, 13(2) पी. सी. एक्ट 1988 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दिनांक 30.12.2014 को गिरफ्तार किये जाने तथा 48 घंटे से अधिक अवधि तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रखे जाने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 (2)(क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग रायपुर निर्धारित करता है।

2/ श्री वैष्णव को निलम्बन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

(आर. के. नारद)

अवर सचिव

छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग

क्रमांक एफ 04—01 / 31 / स्था. / 2015

रायपुर, दिनांक 03.01.2015

प्रतिलिपि:-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर
02. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर
03. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, शासन, जल संसाधन विभाग
04. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर
05. मुख्य अभियंता, हसदेव कछार बिलासपुर/ हसदेव गंगा कछार, अंबिकापुर/ महानदी गोदावरी कछार, रायपुर
06. श्री जयंत पवार, मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, रायपुर, मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, बिलासपुर एवं श्री एन. दिव्य, मुख्य अभियंता, कार्यालय, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग रायपुर, मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, अंबिकापुर के अतिरिक्त प्रभार में आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से रहेंगे।
07. पुलिस अधीक्षक, एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर।
08. संबंधित अधिकारी श्री बृजराज दास वैष्णव, अधीक्षण अभियंता, प्रभारी मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर/ हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग, अंबिकापुर द्वारा:- प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग रायपुर
09. आदेश फोल्डर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग